संख्या-6/2015/420/49-3-2015-136/2013

प्रेषक,

शैलेष कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 09मार्च, 2015

विषय: उ0प्र0विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 लखनऊ द्वारा किये जा रहे धोखाधड़ी एवं फर्जीफिकेशन के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के सज्ञान में यह तथ्य आया है कि उ0प्र0 विधायन एवं शीतग़ह संघ लि0, लखनऊ द्वारा अपने को राजकीय निर्माण एजेन्सी बताते हुए विभिन्न जनपदों में अनियमित रूप से शासकीय कार्य आबंटित कराकर अनियमितता की जा रही है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 लखनऊ, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 के अधीन निबन्धित संस्था नहीं है और न ही यह शासनादेश संख्या- ई-8-157/दस-2013-1074/2012, दिनांक 12फरवरी, 2013 के अन्तर्गत घोषित राजकीय ऐजेन्सियों में सम्मिलित है। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत मात्र एक संस्था उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0(पैकफेड) राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में घोषित संस्था है।

3- अत: उ0प्र0विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 लखनऊ द्वारा किये जा रहे धोखाधड़ी एवं फर्जीफिकेशन तथा अपने को राजकीय निर्माण एजेन्सी बताकर विभिन्न शासकीय निर्माण कार्य आबंटित कराये जाने के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 6/2015/420(1)/49-3-2015-136/2013, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- आयुक्त एवं निबन्धक,सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in